

दिनांक १२/१०/०५

सेवा में

श्री गान कारखाना प्रबन्धक
मै० फैशन एक्सप्रेस
प्लॉट नं० १००, उद्योग विहार
फैस-१ गुडगाव ।

विषय:- सेवा शर्तों में परिवर्तनीय व मनमानी तबदीली का प्रयास

श्री गान जी,

प्रार्थी सादर व विनम्र निवेदन करता है:-

1. यह कि प्रार्थी आपकी संस्थान में दि० १.१.१९९१ से मनीएरिंग विठन प्रकार से कार्य करता आ रहा है:-
 - (i) नियुक्ति की तिथि अर्थात् ~~1.1.1991~~ ^{1.1.1991} से प्रार्थी को वतौर टैल्डिंग मास्टर भर्ती किया गया था और लगभग 6 मास तक प्रार्थी वतौर टैल्डिंग मास्टर कार्यरत रहा।
 - (ii) उपरोक्त अवधि के बाद संस्थान के प्रबन्धकी ने प्रार्थी के कार्य स्थाप से सन्तुष्ट होकर प्रार्थी को Assistant Master बना दिया जो कि लगभग 9 साल तक जारी रहा।
 - (iii) यह कि प्रार्थी के उपरोक्त कार्य पक्षता, अनुभव और कार्यक्षमता से खुश होकर प्रबन्धकी ने प्रार्थी को वतौर सफलतापूर्वक (मास्टर) बना दिया गया और इस कार्य को भी प्रार्थी ने पूरी जिम्मेवारी से लगभग ३ 1/2 वर्ष सम्भाले रखा।
 - (iv) यह कि उपरोक्त जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक प्रार्थी द्वारा निभाए जाने के बाद प्रबन्धकी ने पुनः प्रार्थी को तरफती देने का Field Supervisor बना दिया और

प्राची से फील्ड में multipul duties करारि जाने लगी-
जिनको भी प्राची ने पूरी जिम्मेवारी से लिनापा और
अन्ती तक फील्ड में प्राची द्वारा किए किसी भी
कार्य से किसी प्रकार की शिकायत सामने नहीं
आई।

(2) यह कि प्राची ने जिम्मेवारी कि तिथी से अब तक
संस्थान के कार्य-समापन में पूरी दिल-पसंदी लगन,
जिष्ठा व मेहनत से कार्य किया है और इन्ही
कारणों से प्रबन्धको ने प्राची को और टेक्निक
मार्ग करके फील्ड सुपरवाइजर बनाया तथा
समय-2 पर प्राची के वेतन वृद्धि भी जाती रही।

(3) यह कि अब ना जाने किन कारणों से प्रबन्धको
ने अचानक और अप्रत्याशित रूप से प्राची की
सेवा शर्तों में कलमानी तब्दीली करते हुए
प्राची को मौखिक तौर पर टेक्निक व्ज कार्य
करने को कहा गया - जो कि प्राची पर लागू सेवा
शर्तों में प्राची के दिनों के प्रतिकूल तब्दीली करने
का कृत्य होने के कारण गैरकानूनी तथा अस्वीकृत
सम व्यवहार है - क्योंकि प्राची से Degraded Position
में कार्य नहीं कराया जा सकता और वैसे भी

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 9A के अन्तर्गत 31 दिन का नोटिस दिए बिना प्रार्थी पर लागू सेवा शर्तों में किसी प्रकार की तबदीली प्रभावी नहीं की जा सकती।

(4) यह कि प्रार्थी ने जिस लगन, निष्ठा व ईमानदारी का परिचय देकर कम्पनी के हितों के अनुकूल कार्य करते हुए तरक्की प्राप्त की है - इसे प्रत्येक बिना किसी उचित कारण के प्रार्थी से नहीं हटाया जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों और विवरण के आधार पर प्रार्थी विनम्र निवेदन करता है कि प्रार्थी पर लागू सम्मेलन समझौते से लागू सेवा शर्तों में मनमानी तथा गैरकाबूकी तबदीली ना की जावे और प्रार्थी को यथापूर्व शान्तिपूर्ण ढंग से काम करने दिया जावे।
आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी सतबीर सिंह

(सतबीर सिंह)

पुत्र श्री गंगा राम

कार्ड नं० 0159